

## सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

### उद्देश्य :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

### प्रावधान :-

अनुसूचित जाति / जनजाति के ऐसे आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता है ।

क्र.	परीक्षा का स्तर	संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि	म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पात्र राशि
1	2	3	4
1	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण	40,000 /-	20,000 /-
2	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	60,000 /-	30,000 /-
3	सक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	50,000 /-	25,000 /-
योग		1,50,000 /-	75,000 /-

### कौन लाभ ले सकता है?

म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदकों के माता-पिता एवं अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 1.20 लाख से अधिक न हो ।

### योजना का लाभ कैसे ले :- जैसे -

1. किससे संपर्क करें जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ।
2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें:- उपरोक्तानुसार उल्लेखित किसी भी स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आवेदक को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरना होगा तथा आवेदक पत्र के साथ परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र ।
3. आवेदन करने का तरीका :- निर्धारित प्रारूप में ।
4. आवश्यक दस्तावेज :- निर्धारित जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास डिण्डौरी  
जिला डिण्डौरी